

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम बाप (फलोदी)

अदालत
तारीख पुत्र चतुर्मास

बनाम जिला कलेक्टर पणेरेह

मुकदमा 09 CPC

मु.नं. 327 सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

पार्थी ने एक पार्थना पत्र जुरिये
निसल अन्तर्गत धारा 21 के अन्तर्गत
अपराधों के तहत पेश
किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे
पार्थीगण की तलवी जुरिये सम्पन्न
की जावे। निसल दिनांक 11/11/25
का पेश हो।

(Signature)
पदाधिकारी कलेक्टर
बाप जिला फलोदी

11. मन्नाबली पेश हुई। वकील पार्थी उपरोक्त वकील
की करणीगिरी ने अपराधों के लिये 2 ता 28 के अंत
में मन्नाबली पेश किया जो शामिल पताबली
किया गया। वकील अपराधीगण के अग्रज मन्नाबली
पेश या कर अपराधीगण स्वामी के अंतर्गत
कामागिरी जागहट की। वकील पेश से अटक सुनी
गई। अटक पर मन्ना तथा पताबली पर उपलब्ध
स्वामीगण का अबलोकन किया गया। कप निरंतर -
मन्ना एवं अबलोकन के पार्थी का अपराधीगण स्वामी
योजना होने के स्वामीगण किया जाता है। मन्ना कप
संख्या 234/2022 पुनः नम्बर पर विधि जानने के
आदेश किए जाते हैं। मन्नाबली पेशना सुमारा है।
नम्बर के कप से जाकर दायीन इफ्तार की जावे।

पार्थना पत्र
स्वीकार किया
जो मन्ना पर अपराधी
गयी।
(Signature)
2 ता 28

(Signature)
(सत्य नारायण-1, KMS)